

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क0 56/आर-652/2020/ब-1/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 20/01/2021

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल ।

गृह/खेल एवं युवा कल्याण/सहकारिता/किसान कल्याण एवं कृषि विकास/लोक  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/लोक निर्माण/स्कूल शिक्षा/विधि एवं विधायी  
कार्य/आदिम जाति कल्याण/नर्मदा घाटी विकास/खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं  
उपभोक्ता संरक्षण/जल संसाधन/लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/उच्च शिक्षा/  
संसदीय कार्य/महिला एवं बाल विकास/कुटीर एवं ग्रामोद्योग/पिछड़ा वर्ग एवं  
अल्पसंख्यक कल्याण/पंचायत एवं ग्रामीण विकास/उद्यानिकी एवं खाद्य  
प्रसंस्करण/पर्यावरण/राजस्व एवं पुनर्वास विभाग ।

विषय:- वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान के कतिपय लेखाशीर्षों में लेखानुदान के  
बजट प्रावधान से उत्पन्न विसंगतियों के निराकरण के संबंध में ।

संदर्भ:- वित्त विभाग का पत्र क. 08/आर-652/2020/ब-1/चार दि. 04.01.2020

-000-

संदर्भित पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में लेखानुदान के कारण उत्पन्न  
विसंगतियों के निराकरण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। पत्र के साथ  
परिशिष्ट एक से चार तक संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित करते हुए कार्यवाही करने  
का अनुरोध किया गया था। आपके विभाग द्वारा विसंगतियों के निराकरण के संबंध  
में कृत कार्यवाही की समीक्षा हेतु संचालक बजट, मप्र शासन, वित्त विभाग की  
अध्यक्षता में दिनांक 22 जनवरी 2021 को अपरान्ह 3:30 बजे कक्ष क्रमांक 211 बी  
एनेक्सी II न्यू वल्लभ भवन में बैठक आयोजित की जा रही है।

अतः अपने विभाग के संबंधित अधिकारी को जानकारी सहित बैठक में  
उपस्थित होने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध है।

(अरविन्द कुमार गुप्ता)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 20/01/2021

पृ0 क0 57/आर-652/2020/ब-1/चार

प्रतिलिपि:-

- 1 निज सहायक, प्रमुख सचिव, सचिव एवं संचालक बजट वित्त विभाग मंत्रालय  
भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 2 समस्त उपसचिव वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 3 संचालक, कोष एवं लेखा, मप्र, पर्यावास भवन ।
- 4 वित्तीय सलाहकार/वित्त अधिकारी, संबंधित विभाग ।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग